



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 477 राँची, बुधवार, 25 भाद्र, 1948 (श०)
16 सितम्बर, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश
8 सितम्बर, 2026

पत्रांक-4/स.भू राँची (K.O.)-22/2018 - 2992(4)/रा०, --
सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषय:- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-25.08.2026 में मद संख्या-31 के रूप में लिए गए निर्णय के आलोक में राँची जिलान्तर्गत अंचल-रातू, मौजा-बेलांगी में कुल रकबा-21.63 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि का कुल संगणित राशि रु० 6,51,890/- (छः लाख इक्यावन हजार आठ सौ नब्बे) की अदायगी पर कार्तिक उराँव महाविद्यालय, बेलांगी के नाम से दिनांक-12.11.2016 से दिनांक-11.11.2046 तक 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज नवीकरण के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

राँची जिलान्तर्गत अंचल-रातू, मौजा-बेलांगी में कुल रकबा-21.63 (विस्तृत विवरणी तालिका- I के अनुसार) एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि का विभागीय संकल्प सं0-3842/रा., दिनांक-24.11.2023 के आलोक में की गई गणना के अनुसार लीज नवीकरण (30 वर्षों के लिए) कुल देय राशि रू0 6,51,890/- (छः लाख इक्यावन हजार आठ सौ नब्बे) (विस्तृत विवरणी तालिका- II के अनुसार) रुपये की अदायगी पर कार्तिक उराँव महाविद्यालय, बेलांगी के नाम दिनांक-12.11.2016 से दिनांक-11.11.2046 तक 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज नवीकरण की स्वीकृति दी जाती है।

तालिका- I

क्र0	अभिलेख सं0	मौजा/थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़)	भूमि का किस्म
01	01/2017-18	बेलांगी/84	9, 44 एवं 141	660, 665, 667, 663, 664 एवं 657	21.63	गैरमजरूआ खास

तालिका- II

(राशि रू0 में)

अभिलेख सं0	रकबा (एकड़)	पूर्व में ली गयी सलामी की राशि	सलामी की राशि (पूर्व में निर्धारित सलामी राशि X वार्षिक वृद्धि दर) या 1,00,000/- जो अधिक है।	लगान (पूर्व में निर्धारित लगान X वार्षिक वृद्धि दर)	सेस (लगान का 75 प्रतिशत)	लीज नवीकरण (30 वर्षों के लिए) हेतु भुगतान की जाने वाली राशि {सलामी की राशि + (लगान+सेस) X 30}
1	2	3	4	5	6	7
01/2017-18	21.63	1 रू0 टोकन	1,00,000	4326.00 X 2.43 = 10512.18	10512.18 X 75 % = 7884.13	1,00,000 + (10512.18 + 7884.13) X 30 = 651889.30 या 651890.00

2. उपर्युक्त लीज नवीकरण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जाती है:-
- i लीजधारी को लीज समाप्ति वर्ष से अद्यतन बकाये लगान एवं सेस की राशि निर्धारित सूचकांक के अनुसार एक मुश्त सरकारी कोष में जमा करना होगा।
 - ii लीजधारी को शेष वर्षों के लिए लीज रेंट का निर्धारित सूचकांक के अनुसार वार्षिक लगान एवं सेस भुगतान करना होगा ।
 - iii इस लीज नवीकरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029-00-107-01-00-01-01" के अंतर्गत जमा होगी ।
 - iv लीजधारी को खासमहाल मैनुएल में निहित प्रावधान, विभागीय संकल्प जापांक-3842/रा0, दिनांक- 24.11.2023 में उल्लेखित शर्तों एवं निहित प्रावधान तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/अनुदेशों का पालन करना होगा ।
 - V सरकार से लीज नवीकरण की स्वीकृति के उपरांत कार्तिक उराँव महाविद्यालय, बेलांगी को विधिवत् निबंधित लीज शर्तों को एकरारनामा करना होगा।
 - Vi लीज की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में दी गई शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

रामवृक्ष महतो,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
